

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (MITC)

उधारकर्ता तथा सह-उधारकर्ता(ओं) एवं अभियान कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डोवेल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन-U65999MH1995PTC289390), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित एवं निगमित तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 113, प्रथम तल, अरुण चैंबर्स, तारदेव रोड, ए/सी मार्केट के निकट, तुलसीवाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400034 पर स्थित है, जिसे इसके पश्चात "ACIPL" कहा गया है) के बीच व्यावसायिक ऋण के MITC को निम्नानुसार सहमत एवं उल्लिखित किया गया है:

अ. ऋण का विवरण		
क्र.	विवरण	ब्यौरा
1	आवेदन संख्या	
2	यूसीआईडी (UCID)	
3	स्वीकृत ऋण राशि	
4	ऋण अनुबंध की तिथि	
5	ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	ब्याज दर: % प्रति वर्ष
6	ब्याज दर का प्रकार (स्थिर / फ्लोटिंग / अर्ध-स्थिर)	प्रकार: स्थिर (FIXED)
7	प्रोसेसिंग फीस (₹)	(रुपये:)
8	अवधि (समान मासिक किस्तों में ऋण की कुल किस्त संख्या)	माह
9	मोरेटोरियम अथवा सस्पेंडी	लागू नहीं
10	किस्त का प्रकार, PEMI, EMI आवृत्ति	मासिक (PEMI - खंडित अवधि हेतु एवं पूर्ण संवितरण से पूर्व । पूर्ण संवितरण के बाद EMI)
11	ब्याज दर रीसेट की तिथि (फ्लोटिंग दर/अर्ध-स्थिर दर)	ब्याज दर रीसेट चक्र अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही, अर्थात प्रत्येक 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर से प्रारंभ होता है
12	ब्याज दर में परिवर्तन के संचार का माध्यम	भारत भर के प्रमुख समाचार पत्रों में 'प्रेस विज्ञप्ति' के माध्यम से अथवा इसकी वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप, पंजीकृत फोन/मोबाइल नंबर पर कॉल अथवा संचार के अन्य स्रोत के माध्यम से
13	ऋण का प्रयोजन	
14	ऋण प्रकार	नया (NEW)
15	ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान EMI/PEMI के माध्यम से तथा स्वागत पत्र के साथ साझा किए गए ऋण अनुबंध एवं परिशोधन अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार
16	संपत्ति/उधारकर्ता का बीमा	ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ACIPL को एकमात्र लाभार्थी बनाते हुए, ACIPL द्वारा निर्दिष्ट राशि हेतु प्रतिभूति/संपादित्व के रूप में दी गई संपत्ति का प्राकृतिक आपदा, आग, क्षति, विपत्ति एवं जोखिमों के विरुद्ध समुचित बीमा कराया जाएगा । इसका प्रमाण प्रत्येक वर्ष अथवा ACIPL द्वारा माँगे जाने पर ACIPL को प्रदान किया जाएगा । ACIPL द्वारा निर्दिष्ट राशि के बावजूद, उधारकर्ता संपत्ति का पर्याप्त राशि हेतु समुचित बीमा कराएगा । उधारकर्ता स्वयं हेतु स्वास्थ्य एवं/अथवा जीवन बीमा कवर, पॉलिसी के अंतर्गत ACIPL को एकमात्र लाभार्थी बनाते हुए, ले सकता है । दावों एवं कवरेज सहित शर्तें एवं निबंधन बीमाकर्ता द्वारा शासित होंगी । बीमा विनयन (solicitation) का विषय है ।
17	किस्त राशि (PEMI/EMI) - अंकों एवं शब्दों दोनों में	

स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित					
विवरण	उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
हस्ताक्षर					

ब. प्रतिभूति / संपार्श्विक

क्र.	विवरण	ब्यौरा
1	संपत्ति का विवरण	
2	गारंटी: गारंटर(ओं) के नाम (यदि कोई हो)	
3	अन्य प्रतिभूति जिसमें अंतरिम प्रतिभूति शामिल है	

स. संवितरण हेतु शर्तें

1	स्वीकृति पत्र/ऋण अनुबंध/लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति
2	संपत्ति (प्रतिभूति/संपार्श्विक) का विधिक एवं तकनीकी मूल्यांकन
3	अंतिम उपयोग की पुष्टि
4	सभी प्रभार, कर आदि का भुगतान अथवा उनका पूंजीकरण
5	ऋण पूर्ण होने तक ACIPL द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किसी भी प्रकार की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करने का वचन
6	अपने व्यवसाय/रोज़गार/संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन की ACIPL को सूचना देना
7	ऋण के संवितरण हेतु लिखित अनुरोध (ACIPL द्वारा निर्धारित तरीके से) । ऐसा अनुरोध हस्तगत, मेल अथवा ACIPL की वेबसाइट के माध्यम से अथवा ACIPL द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य किसी प्रारूप/तरीके से किए जाने पर समुचित रूप से किया गया माना जाएगा
8	स्वीकृति पत्र में उल्लिखित ऋण के संवितरण हेतु सभी पूर्व-शर्तों का अनुपालन
9	यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति (प्रतिभूति) का पूर्ण, स्पष्ट एवं विवेक्य स्वामित्व हो तथा उक्त संपत्ति पूर्णतः अभारमुक्त एवं किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त हो
10	यह सुनिश्चित करना कि ऐसी कोई असाधारण अथवा अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न न हुई हों जो वर्तमान ऋण हेतु ऋण अनुबंध के अंतर्गत उधारकर्ता के दायित्वों की पूर्ति को असंभावित बनाएँ
11	यह सुनिश्चित करना कि उधारकर्ता द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोई चूक की घटना न हुई हो

द. फीस एवं अन्य प्रभार (GST अथवा सरकारी शुल्क समय-समय पर यथा लागू अतिरिक्त रूप से प्रभारित होंगे)

क) अग्रिम प्रभार : ऋण आवेदन के निर्णय एवं संवितरण से पूर्व:

क्र.	प्रभार	लागू प्रभार (GST यथा लागू)	टिप्पणी
1	a) प्रोसेसिंग फीस b) आवेदन फीस	a) प्रोसेसिंग फीस स्वीकृत ऋण राशि के 4% तक की दर से होगी । वास्तविक प्रोसेसिंग फीस स्वीकृति पत्र में उल्लिखित होगी तथा प्रत्येक उधारकर्ता हेतु मूल्यांकन एवं ऋण राशि के अनुसार भिन्न हो सकती है । GST अतिरिक्त रूप से लागू होगा । b) ऋण हेतु आवेदन के साथ ₹2500 तक (GST सहित) आवेदन फीस के रूप में देय होगी ।	a) प्रोसेसिंग फीस आवेदन फीस के अतिरिक्त है तथा संवितरण से पूर्व भुगतान की जानी है अथवा संवितरण राशि से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वसूली जा सकती है । b) आवेदन फीस राशि अप्रतिदेय है, जो चेक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेबिल फिस्कल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में देय है । टिप्पणी: यदि संवितरण से पूर्व किसी कारणवश ACIPL द्वारा ऋण अस्वीकृत किया जाता है अथवा आवेदक द्वारा संवितरण से पूर्व आवेदन वापस लिया जाता है, तो प्रोसेसिंग फीस, यदि भुगतान की गई हो, निम्न शर्तों के अधीन वापस की जाएगी: - आवेदन फीस अप्रतिदेय है - भुगतान किए गए सांविधिक शुल्क अप्रतिदेय हैं
2	विधिक राय एवं खोज प्रभार (गैर-भार प्रमाणपत्र/सत्यापन रिपोर्ट सहित)	₹3,000 + GST प्रति रिपोर्ट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
3	RCU प्रभार	₹1,000/- + GST प्रति ऋण	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
4	लेन-देन दस्तावेज़ प्रभार	₹500 + GST प्रति ऋण	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
5	MOD/सामान्य बंधक/पंजीकृत बंधक/IOM/लियन मार्किंग आदि – पंजीकरण व्यय	वास्तविक आधार पर	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
6	मूल दस्तावेज़ सत्यापन प्रभार (ODV) अथवा यथा लागू	₹500/- + GST प्रति ऋण	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
7	CERSAI: संवितरण के समय: चार्ज का सृजन	₹100/- + GST (5 लाख से अधिक के ऋणों हेतु) एवं ₹50/- + GST (5 लाख तक के ऋणों हेतु) अथवा CERSAI द्वारा वसूले जाने वाले प्रभारों के अनुसार	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
8	संवितरण हेतु डिमांड ड्राफ्ट	DD जारी करने का वास्तविक प्रभार + यथा लागू GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
9	स्टाम्प ड्यूटी	वास्तविक आधार पर	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
10	तकनीकी मूल्यांकन प्रभार	₹1,500 + GST प्रति रिपोर्ट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
11	स्वीकृति पुनर्विधीकरण प्रभार (प्रारंभिक स्वीकृति पत्र की समाप्ति के पश्चात)	₹1,000 + GST प्रति पुनर्विधीकरण	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।

ख) सेवा प्रभार :

क्र.	प्रभार	लागू प्रभार (GST यथा लागू)	टिप्पणी
1	CERSAI: चार्ज संशोधन के समय (टॉप-अप की स्थिति में)	₹100/- + GST (5 लाख से अधिक के ऋणों हेतु) एवं ₹50/- + GST (5 लाख तक के ऋणों हेतु) अथवा CERSAI द्वारा वसूले जाने वाले प्रभारों के अनुसार	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
2	चेक रिटर्न/ECS रिटर्न/ACH रिटर्न प्रभार (प्रति इंस्ट्रूमेंट/लेन-देन)	₹1,000 + GST प्रति रिटर्न	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । उधारकर्ता के ऋण खाते में प्रभारित किया जाएगा ।
3	विलंबित भुगतान प्रभार	विलंबित भुगतान हेतु विलंबित भुगतान प्रभार विलंबित राशि पर एवं केवल विलंबित अवधि हेतु @3% प्रति माह + GST की दर से प्रभारित किया जाएगा	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । उधारकर्ता के ऋण खाते में प्रभारित किया जाएगा ।
4	वसूली पिकअप प्रभार/रिकवरी विज़िट प्रभार	₹500 + GST प्रति विज़िट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । उधारकर्ता के ऋण खाते में प्रभारित किया जाएगा ।
5	डुप्लिकेट नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र	₹2,000/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
6	संपत्ति दस्तावेज़ों की प्रति	₹2,000/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
7	दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति प्रभार	₹2,500/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।
8	संवितरण निरस्तीकरण प्रभार	यदि ग्राहक द्वारा संवितरण के पश्चात निरस्तीकरण अनुरोध प्राप्त होता है, तो ग्राहक को ₹6,500 + GST का ऋण निरस्तीकरण प्रभार देना होगा । यदि निरस्तीकरण ACIPL द्वारा	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । अप्रतिदेय ।

		संवितरण के पश्चात प्रारंभ किया जाता है, तो कोई निरस्तीकरण प्रभार लागू नहीं होगा।	
9	ऋण पूर्व-भुगतान/फोरक्लोज़र विवरण	₹4,000/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
10	डुप्लिकेट वार्षिक खाता विवरण, अन्तिम प्रमाणपत्र	₹2,500/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
11	SOA/पुनर्भुगतान अनुसूची प्रभार	₹2,500 + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
12	संवितरण चेक निरस्तीकरण एवं पुनः जारी करना	₹1,000/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
13	स्विच/परिवर्तन अथवा ब्याज दर में परिवर्तन: a) फ्लोटिंग से फ्लोटिंग ब्याज दर b) स्थिर से फ्लोटिंग एवं इसके विपरीत c) स्थिर से स्थिर ब्याज दर	प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग (POS) पर 2% + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
14	चेक/ACH स्वीपिंग प्रभार (प्रति सेट) PDC से PDC; PDC से ACH; ACH से ACH; ACH से PDC	₹1,000/- + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
15	शिकायत प्रबंधन प्रभार	शून्य	लागू नहीं
16	विधिक वसूली प्रभार	वास्तविक आधार पर	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
17	दस्तावेजों की सूची	₹4,500 + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।

ग) फोरक्लोज़र के समय प्रभार :

क्र.	प्रभार	लागू प्रभार (GST यथा लागू)	टिप्पणी
1	नकद संग्रहण प्रभार (केवल पूर्ण एवं आंशिक समापन/पूर्व-भुगतान हेतु)	₹5/- प्रति ₹1,000 नकद संग्रहण हेतु + GST	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
2	CERSAI: ऋण समापन के समय - चार्ज की संतुष्टि (लियन हटाना)	शून्य	लागू नहीं
3	दस्तावेज़ अभिरक्षक शुल्क	₹500/- + GST प्रति माह (ऋण खाता समापन के 30 दिनों पश्चात प्रभासित)	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।
4	ऋण पर आंशिक-पूर्व-भुगतान/पूर्व-समापन प्रभार	a) फ्लोटिंग ब्याज दर। सह-उधारकर्ता(ओं) सहित अथवा रहित, व्यक्तिगत एवं/अथवा गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए किसी भी ऋण हेतु, किसी भी स्रोत के माध्यम से किए गए आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व-भुगतान पर कोई प्रभार देय नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब ऋण व्यावसायिक प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया हो। निम्नलिखित ऋण व्यावसायिक ऋण की श्रेणी में आएंगे: MSME ऋण, व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संपत्ति के बदले ऋण/होम इक्विटी ऋण अर्थात कार्यशील पूंजी, व्यावसायिक ऋण का बैलेंस ट्रांसफर, व्यवसाय का विस्तार, वाणिज्यिक परिसंपत्ति का अधिग्रहण तथा निधियों का कोई अन्य समान अंतिम उपयोग एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लिया गया कोई भी ऋण। उल्लिखित प्रभार लागू होंगे। पूर्व-भुगतान प्रभार पूर्व-भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक मूलधन शेष पर लगाए जाएंगे। b) स्थिर ब्याज दर। उल्लिखित प्रभार लागू होंगे। पूर्व-भुगतान प्रभार पूर्व-भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक मूलधन शेष पर लगाए जाएंगे। c) अर्ध-स्थिर ब्याज दर। प्रभारों का लागू होना इस पर निर्भर करेगा कि पूर्व-भुगतान अथवा पूर्व-समापन के समय ऋण स्थिर अथवा फ्लोटिंग दर पर है। पूर्व-भुगतान प्रभार पूर्व-भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक मूलधन शेष पर लगाए जाएंगे। उल्लिखित प्रभार लागू होंगे। पूर्व-भुगतान/पूर्व-समापन 12 माह के भीतर अनुमत नहीं होगा। 12 माह पश्चात पूर्व-भुगतान प्रभार प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर 10% + GST तक होगा।	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रतिदेय।

ड. अन्य

1	SMA एवं NPA वर्गीकरण	EMI/PEMI/ब्याज के भुगतान में विलंब की स्थिति में, ACIPL उधारकर्ता के खाते (सभी जुड़े हुए खातों सहित) को नियत तिथि के कैलेंडर दिवस की समाप्ति पर विशेष उल्लेख खाता (SMA)/ अनर्जक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत करेगा। उदाहरण: यदि नियत तिथि 31 मार्च, 2021 है तथा इस तिथि हेतु ACIPL द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाए जाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 मानी जाएगी तथा यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को डे-एंड प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले तक SMA-0 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल, 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाए जाने पर यह खाता SMA-1 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा, अर्थात लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने के पूर्ण होने पर। तदनुसार, उस खाते हेतु SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी प्रकार, यदि खाता लगातार अतिदेय रहता है, तो यह 30 मई, 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाए जाने पर SMA-2 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा तथा यदि यह आगे भी लगातार अतिदेय रहता है, तो 29 जून, 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाए जाने पर इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
2	स्वीकृति पत्र एवं आवेदन पत्र की सामान्य शर्तों एवं निबंधन तथा ऋण अनुबंध/लेन-देन दस्तावेज़ की शर्तों का अननुपालन	ACIPL के विवेकाधिकार पर ऋण की ब्याज दर 3% तक बढ़ाई जा सकती है
3	EMI/PEMI के तीन लगातार बाउंस	ACIPL के विवेकाधिकार पर ऋण की ब्याज दर 3% तक बढ़ाई जा सकती है
4	बकाया राशि की वसूली	ग्राहकों को ऋण की अवधि, आवृत्ति, राशि तथा पुनर्भुगतान के तरीके के संबंध में पुनर्भुगतान प्रक्रिया समझाई जाती है। नियत तिथि पर नियमित रूप से EMI अथवा PEMI का भुगतान करने के अपने दायित्व के संबंध में ग्राहक को कोई नोटिस, स्मरण-पत्र अथवा सूचना नहीं दी जाती। नियत तिथियों तक Pre-EMI/EMI का भुगतान न किए जाने पर, ACIPL टेलीफोन कॉल करके, डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित सूचना भेजकर अथवा ग्राहक द्वारा दिए गए पते पर ACIPL के अधिकृत कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत भेंट करके ग्राहकों को स्मरण कराएगा। ऐसे कॉल/संचार/ भेंट की लागत ग्राहक से वसूल की जाएगी। ACIPL को ऋण अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों को लागू करने हेतु ऐसे उपाय करने का अधिकार है जिसमें विलंबित भुगतान हेतु विलंबित भुगतान प्रभार लगाना शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। यहाँ उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, यह ग्राहक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि Pre-EMI/EMI नियमित रूप से नियत तिथियों पर भुगतान की जाए। किसी भी ग्राहक के खाते से संबंधित क्रेडिट जानकारी क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) अथवा किसी अन्य लाइसेंसप्राप्त ब्यूरो को मासिक आधार पर प्रदान की जाती है। CIBIL के साथ क्रेडिट इतिहास पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह ऋण राशि पर देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करे। बंधक/प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की वसूली प्रक्रिया, जिसमें बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेना एवं बिक्री शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) अथवा किसी अन्य कानून जिसमें मध्यस्थता (Arbitration) शामिल है, के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित कानून के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्णतः अनुसरण की जाती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, सिविल वाद तथा SARFAESI अधिनियम/ मध्यस्थता के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु कदम उठाने से पूर्व ग्राहक को सूचना/स्मरण-पत्र/नोटिस दिए जाते हैं। वास्तविक प्रक्रिया ACIPL द्वारा निर्धारित की जाएगी।
5	वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी करने की तिथि	बकाया शेष विवरण ऋण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात मई माह में जारी किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा ACIPL के पास उपलब्ध एवं अद्यतन उधारकर्ता के संपर्क विवरण पर, ACIPL के अपने विवेकाधिकार पर उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

उपर्युक्त सभी फीस एवं प्रभार सांविधिक करों को छोड़कर हैं। उधारकर्ता द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले MITC की शर्तों में भिन्नता के अधीन, ACIPL अपनी आधिकारिक वेबसाइट, अपने कार्यालयों में प्रदर्शन तथा समय-समय पर सामान्य घोषणा के माध्यम से किसी भी परिवर्तन की जानकारी अपने उधारकर्ताओं को देने का प्रयास करेगी। यदि ऐसा परिवर्तन उधारकर्ता के प्रतिकूल है, तो उधारकर्ता 30 दिनों के भीतर तथा बिना किसी सूचना के, बिना कोई अतिरिक्त प्रभार अथवा ब्याज दिए, ऋण खाता बंद कर सकता है अथवा इसे स्थगित कर सकता है।

हमें मूल MITC, स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है एवं ऋण अनुबंध हेतु हम वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रति का संदर्भ लेंगे।

स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित					
विवरण	उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
हस्ताक्षर					

च. ग्राहक सेवाएँ

i) दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा प्रश्नों को निम्नलिखित माध्यमों से ACIPL को संबोधित किया जा सकता है:

- a. हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमें लिखें: www.abhiyancapital.com
- b. हमें यहाँ सूचित करें: ACIPL लिमिटेड: पता: 113, प्रथम तल, अरुण चैंबर्स, तारदेव रोड, ए/सी मार्केट के निकट, तुलसीवाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400034
- c. ईमेल आईडी पर सूचित करें: contactus@abhiyancapital.com

ii) ACIPL की सभी शाखाओं हेतु भेंट का समय तथा ग्राहक सेवा हेतु संपर्क व्यक्ति का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii) निम्नलिखित हेतु कार्य समय के भीतर अपनी निकटतम शाखा पर ACIPL ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करें:

- a. दस्तावेजों की फोटोकॉपी, जो अनुरोध की तिथि से 7 कार्य दिवसों में प्रदान की जा सकती है। शुल्क अनुसूची के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।
- b. मूल दस्तावेज़ ऋण समापन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर वापस किए जाएंगे। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।
- c. ऋण खाता विवरण (समयसीमा): अनुरोध प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर।

छ. शिकायत निवारण

ऐसे अवसर हो सकते हैं जहाँ उधारकर्ता प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट न हो। ऐसे मामलों को उजागर करने एवं शिकायत दर्ज कराने हेतु उधारकर्ता निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकता है:

- a. उधारकर्ता वेबसाइट पर ग्राहक सेवा से शिकायत कर सकता है: www.abhiyancapital.com
- b) उधारकर्ता contactus@abhiyancapital.com पर हमसे मिल सकता है अथवा हमें लिख सकता है
- c) यदि 7 दिनों से अधिक अवधि तक चिंता का समाधान नहीं होता, तो उधारकर्ता इस मामले को निम्नलिखित निदेशक के पास एस्केलेट कर सकता है:

निदेशक, ACIPL,

113, प्रथम तल, अरुण चैंबर्स, तारदेव रोड, ए/सी मार्केट के निकट, तुलसीवाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400034

d) यदि उधारकर्ता प्रतिक्रिया से अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन मोड में शिकायत दर्ज कराकर आरबीआई के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकता है:

<https://cms.rbi.org.in>

यह सहमति दी जाती है कि ऋण की विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों हेतु, पक्षकार उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण एवं अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे एवं उन पर निर्भर रहेंगे। उपर्युक्त शर्तों एवं निबंधन उधारकर्ता(ओं) द्वारा पढ़ी गई हैं / ACIPL के श्री/श्रीमती प्रेम कुमार द्वारा उधारकर्ता को पढ़कर सुनाई गई हैं तथा उधारकर्ता(ओं) द्वारा समझ ली गई हैं।

(उधारकर्ता/ओं के हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान)	(ACIPL के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
--	--

स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित					
विवरण	उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
हस्ताक्षर					